उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1
संख्या-1/53/79-वि-1-2014-33-2013
लखनऊ: दिनांक 20 जनवरी, 2014

<u>आदेश</u>

उत्तर प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के निस्तारण में विलम्ब के कारणों व उनका समाधान करने, जनमानस को शीघ्र तथा सस्ता न्याय दिलाये जाने, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार लाने, प्रदेश की आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रवृत्त विधियों के निरसन, संशोधन तथा उन्हें और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार को परामर्श देने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के गठन की नितान्त आवश्यकता है । इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार उ0प्र0 राज्य विधि आयोग गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)	अध्यक्ष	एक
(2)	पूर्णकालिक सदस्य	एक
(3)	अंशकालिक सदस्य	एक
(4)	सचिव	एक

2-(क) उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग का कार्य क्षेत्र निम्नत होगा:-

(1) राज्य में प्रवृत्त विधियों का सविस्तार परीक्षण करना।

(2) दीवानी, फौजदारी और राजस्व वादों के निस्तारण में होने वाले विलम्ब और उनके निराकरणय हेतु सुझाव।

(3) शासन के विभागों में लम्बित मध्यस्थता के वादों में होने वाले विलम्ब को दूर करके मध्यस्थता की कार्यवाही को चुस्त करने के सुझाव।

(4) राज्य विधियों में व्याप्त अस्पष्टता व विसंगतियों को दूर करने के सुझाव।

(5) आम जनता को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने में उपायों के सुझाव।

(6) एक विषय के बारे में प्रवृत्त सभी विधियों का पुनरीक्षण कर संकलित करने का कार्य।

(7) भारत का संविधान के अध्याय-4 में उपबन्धित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को लागू करने के लिए विधियों में परिवर्तन या नई विधियों को बनाने के सुझाव।

(8) न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण और उनके निराकरण हेतु सुझाव।

(9) किसी प्रावधान को संविधान के प्रतिकूल पाये जाने पर उनमें संशोधन का प्रस्ताव।

(10) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा वैधानिक एवं विधि सम्मत सन्दर्भित किये गये विषयों का अध्ययन और उनके सम्बन्ध में सुझाव।

------2-

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र में सुसंगत विधि से सम्बन्धित अस्पष्टताओं के निमित्त सुझाव/निराकरण।

(12) राज्य में प्रवृत्त विधियों के उपरिलिखित परीक्षणों के आलोक में विधियों में संशोधन, पुनरीक्षण, समेकित या अद्यावधिक करने के लिए संस्तुति करना।

(13) केन्द्रीय विधि आयोग से प्राप्त रिपोर्ट पर राज्य सरकार का अभिमत एवं सुझाव।

(ख) अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता/योग्यता निम्नवत होगी :-

(1) अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

(2) पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा सेवानिवृत्त सदस्य जिसे न्यूनतम 10 वर्षो का न्यायिक कार्य का अनुभव हो एवं न्याय, विधायी या संसदीय काय्र का विशेष अनुभव हो;

(3) अंशकालिक सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे जो प्रख्यात विधिवेत्ता या विधि विशेषज्ञ या विधि परिषद सदस्य या विधि-आचार्य या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे निर्दिष्ट विषयों में विशिष्ट एवं विशेषज्ञीय ज्ञान हो;

(4) सचिव के रूप में उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(ग) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक जो भी पहले हो, तक पद धारण किया जायेगा।

(घ) अंशकालिक सदस्य द्वारा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त तक ही पद धारण किया जायेगा।

(च) अध्यक्ष यद सदस्य को देय वेतन, भत्ता, पेंशन और उनकी अन्य सेवा-शर्तों में ऐसा परिवर्तन करना उचित नहीं होगा जो उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकर हों।

(छ) पूर्णकालिक सदस्य को देय वेतन, भत्ता, पेंशन और उनकी अन्य सेवा-शर्तों को विहित करने में उसकी पूर्व अन्तिम सेवा प्रास्थित, यदि कोई हो और उसके अनुभव को ध्यान में रखा जायेगा।

(ज) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य आयोग में अपनी नियुक्ति के पूर्व किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो यथास्थिति उसके वेतन से उस पेंशन की धनराशि के बराबर धनराशि कम करके ही वेतन का भुगतान किया जायेगा।

(झ) अध्यक्ष एवं सदस्य की विस्तृत सेवा शर्ते, वेतन, भत्ते और पेंशन आदि व्यवस्थायें राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित की जायेंगी।

-----3-

http://shasanadesh.up.nic.in

(ट) आयोग का मुख्यालय लखनऊ और कार्यालय पूर्व की भांति उ0प्र0 न्यायिक प्रशिक्षण अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ में होगा।

(ठ) आयोग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु कार्यालय के लिए कर्मचारी आदि की व्यवस्था संविदा पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(ड) राज्य विधि आयोग के लिए आवश्यक उपकरण, फर्नीचर, विधि पुस्तकें आदि जो पूर्व में खरीदी गयी थीं और आयोग के समापन के कारण जहां भी संरक्षित हों, नवगठित आयोग को दे दी जायेंगी।

आज्ञा से,
एस0बी0 सिंह,
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मा0 अध्यक्ष (नाम से), उ0प्र0 राज्य विधि आयोग, लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री मा0 मुख्य मंत्री जी के अवगतार्थ।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
4- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- अपर निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ।
6- समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को उ0प्र0 के राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराने के साथ ही मुद्रित आदेश की 200 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9- गोपन अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बादाम सिंह,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in